महिला सशक्तिकरण में पंचायती आरक्षण की भूमिका

डॉ0 शफीक अहमद*
प्रतिभा कुमारी**

महिला सशक्तिकरण आज एक ज्वलंत मुद्दा है। भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आंदोलन हुए हैं। ऐसे तीन दौर आए जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गई तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता मिली। पहला दौर था बौद्ध धर्म, जिसमें न केवल जाति प्रथा का विरोध किया गया वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया गया जिससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई। भक्ति काल को दूसरा दौर माना जाता है जब स्त्रियों के बंधन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया। इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था। तीसरा दौर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान का था, जिसने लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर दिया। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 की क्रांति का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसी वर्ष पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गईं। इसे क्रमांकित कर उसी वर्ष 24 अप्रैल को यह संविधान का 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ।[1]

यदि 73वें संविधान संशोधन को महिला सशक्तिकरण का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायतीराज सामाजिक समानता तथा न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों का प्रमुख घटक है।[2] इस दिशा में 1957 से ही इसके लिए प्रयास आरम्भ हो गए थे। बलवंतराय मेहता समिति ने महिलाओं तथा बच्चों से सम्बंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखने के लिए जिला परिषद में दो महिलाओं को लाने की अनुशंसा की थी। 1974 में ''भारत में महिलाओं का स्थान'' विषय पर गठित समिति ने अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनायी जाएं जिसमें केवल महिलाएं हों। 1978 में अशोक मेहता समिति ने अनुशंसा की थी कि दो महिलाओं को सर्वाधिक मत द्वारा जिला परिषद का सदस्य बनाया जाए। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। कर्नाटक पंचायत अधिनियम 1983 में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्रावधान था। मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1990 में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्रावधान था।

महाराष्ट्र पंचायत अधिनियम 30 प्रतिशत और उड़ीसा अधिनियम में कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान संविधान में हुए 73वें संशोधन अधिनियम के पहले से रहा है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत के सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड– खण्ड(9) और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243(द) (3) के अंतर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243(द) के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ऐसा आरक्षण करना है जिससे इन्हीं वर्गों की महिलाओं हेतु ऐसे स्थानों के एक तिहाई स्थान आरक्षित रहे।[3]

महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को पंचायतराज संस्थाओं में स्थान प्राप्त हुआ है। संविधान के 74वें संशोधन के बाद पंचायतीराज एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं का चुना जाना तय हो गया । पहली बार एक साथ 10 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि चुनी गईं। इस संशोधन के बाद सबसे ज्यादा खुशी उन्हें मिली जो चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधित्व करने

* एसो0प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
** शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

का माद्दा रखती थीं, लेकिन सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें यह मौका नहीं मिल पा रहा था। जब उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उसके परिणाम भी सामने आने लगे।[4]

महिलाओं की अध्यक्षता वाली कई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर असर पड़ा है, बल्कि घरों से बाहर शक्ति और जिम्मेदारी सम्हाल पाने की असमर्थता के बारे में कई भ्रांतियाँ भी दूर हुई हैं। महिलाओं ने अवसर प्राप्त करते ही घर की चारदिवारी से बाहर निकलकर अपने आप को कुशल प्रशासक के रूप में नेतृत्व करने की अपनी क्षमता को सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है।[5] इसका सशक्त उदाहरण राजस्थान का बाड़मेर जिला, जिसमें 73वें संशोधन के पूर्व जितने पंचायती चुनाव हुए कोई भी महिला सरपंच के पद पर निर्वाचित नहीं हुई थी, परन्तु वर्ष 1995 में इस जिले में चुनाव कराये गए जिसमें 380 ग्राम पंचायतों मे से 129 (33.94 प्रतिशत) महिला सरपंच चुनी गई।[6] 2010 में हुए उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव में लगभग 163000 महिलाएं विभिन्न पदों पर नियुक्त हुईं तथा सरपंच के रूप में लगभग 10000 महिलाएं आगे आईं।[7]

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1047 ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ 2010 में हुए पंचायती चुनाव में 499 पदों पर महिला सरपंच चुनी गई हैं। इस संख्या में 79 महिला प्रधान अनुसूचित जाति की 203 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 217 सामान्य वर्ग की महिला प्रधान हैं। इसी जिले की इटवा शुक्ल ग्राम पंचायत की विभा शुक्ला की कार्यशैली, मुखरता के कारण महिला ग्राम प्रधान के लिए एक आदर्श बनी है। इस महिला ग्राम प्रधान को निर्मल ग्राम योजना का पुरस्कार भी मिल चुका है।[8] ऐसे ही अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें महिला प्रधान ने यह साबित किया है कि वह समाज में आकर एक कुशल प्रशासक बन सकती हैं।

पंचायत निर्वाचन–2005

जनपद का नाम – गोरखपुर

क्र. स.	जनपद का नाम	ग्राम प्रधान सारांश	अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछडा वर्ग			स्त्रियॉ	अनारक्षित	कुलयोग
			स्त्रियॉ	पुरूष	योग	स्त्रियॉ	पुरूष	योग	स्त्रियॉ	पुरूष	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गोरखपुर	वर्ष 2005 में आरक्षित ग्राम प्रधान				119	159	278	222	112	334	355	266	1233
2	गोरखपुर	वर्ष 2005 में निर्वाचित ग्राम प्रधान				155	162	317	388	171	559	205	152	1233
कुल महिला आरक्षित सीट संख्या = 696 **कुल चुनी गईं ग्राम पंचायत प्रधान स्त्रियॉ = 748** **कुल चुने गए ग्राम पंचायत प्रधान पुरूष = 485**														

पंचायत निर्वाचन–2010

क्र. स.	जनपद का नाम	ग्राम प्रधान सारांश	अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछडा वर्ग			स्त्रियॉ	अनारक्षित	कुलयोग
			स्त्रियॉ	पुरूष	योग	स्त्रियॉ	पुरूष	योग	स्त्रियॉ	पुरूष	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गोरखपुर	वर्ष 2010 में आरक्षित ग्राम प्रधान				96	182	278	122	218	340	188	427	1233
2	गोरखपुर	वर्ष 2010 में निर्वाचित ग्राम प्रधान				112	162	274	135	206	341	252	366	1233
कुल महिला आरक्षित सीट संख्या = 406 **कुल चुनी गईं ग्राम पंचायत प्रधान स्त्रियॉ = 499** **कुल चुने गए ग्राम पंचायत प्रधान पुरूष = 734**														

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात हो रहा है कि वर्ष 2005 तथा 2010 में जनपद गोरखपुर में हुए पंचायती चुनावो में आरक्षित सीटों से अधिक महिला प्रधान चुनी गयी हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1233 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ 2005 में हुए पंचायती चुनाव में महिलाओं के 696 आरक्षित सीट के सापेक्ष 748 महिला सरपंच चुनी गईं। इस संख्या में 119 सीट के सापेक्ष 155 महिला प्रधान अनुसूचित जाति की, 222 सीट के सापेक्ष 388 महिला प्रधान अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 355 सीट के सापेक्ष 205 सामान्य वर्ग की महिला प्रधान चुनी गईं।

इसी प्रकार 2010 में हुए पंचायती चुनाव में महिलाओं के 406 आरक्षित सीट के सापेक्ष 499 महिला महिला सरपंच चुनी गईं। इस संख्या में 96 सीट के सापेक्ष 112 महिला प्रधान अनुसूचित जाति की, 122 सीट के सापेक्ष 135 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 288 सीट के सापेक्ष 252 सामान्य वर्ग की महिला प्रधान चुनी गईं।[9]

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए की गई आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। यही वजह है कि गावों के विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और बालिका शिक्षा का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। संसद में महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत करने के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 28.18 लाख है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 36.87 प्रतिशत है। अब 110वें संविधान संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस संवैधानिक संशोधन के साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में 14 लाख से भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

भारत सरकार ने 27 अगस्त 2009 को ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण कोटा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए ही संविधान की धारा 243डी में संशोधन किये जाने की जरूरत थी। इस तरह अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं में भी लागू होगी। पंचायतों में जितनी भी एससी, एसटी की सीटें होंगी उनमें से आधी सीटें एससी, एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पंचायत अध्यक्ष के पदों में भी आधी सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। सरकार पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला वर्ष 2009 में ले चुकी थी। इस फैसले के आधार पर 26 नवंबर 2011 को संसद में विधेयक पेश हो चुका है। खास बात यह है कि संसद से मंजूरी मिलने से पहले ही बिहार, गुजरात, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्य महलिाओं के लिए पंचायतों में 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान कर चुके हैं।[10]

अब प्रश्न यह उठता है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवस्था की मुख्य इकाई मुख्यतः महिलाएं ही होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उन महिलाओं से बेहतर भला कौन जान सकता है, जो कि घर में चूल्हा जलाने के लिए ईंधन की व्यवस्था स्वयं जंगल से लकड़ी लाकर करती हैं और दोपहर के समय विश्राम के स्थान पर कताई बुनाई का कार्य करती हैं। इसी प्रकार अनेक ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं, जिनका समाधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने ग्रामीण परिवेश की कठिनाइयों को स्वयं देखा एवं भोगा हो। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को कानूनी दांव–पेंच की जानकारी नहीं होती, लेकिन वे जानती हैं कि सीमित संसाधनों से भी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है तथा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से किस प्रकार निपटा जा सकता है। परन्तु भारत में जब ग्राम पंचायतीराज का प्रारम्भ हुआ तो उसके पदाधिकारी वे व्यक्ति बन बैठे जिनका ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से शायद ही कभी साक्षात्कार हुआ हो और जिन्हें इन समस्याओं की जानकारी थी उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर कार्य किये।

अतः पंचायतीराज की निरंतर असफलता एवं पुरूष समाज की उस पर निरन्तर दावेदारी को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पास किया, ताकि पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं

को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।[11] भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था, जब स्थानीय स्वशाषित संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये।[12]

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पंचायती आरक्षण व्यवस्था महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है, जिससे राजनीतिक जागृति उत्पन्न होगी। ग्रामीण स्तर पर भारत में पहली बार महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागा है कि वे अपने घर के बाहर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। गांव के अनेक काम जो वर्षों से पुरूष सरपंच नहीं कर पाए थे, उसे महिला सरपंचों ने कर दिखाया है। वैसे भी किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए महिलाओं का 50 प्रतिशत योगदान अनिवार्य होता है। एक सबल व सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु यह बात इस तथ्य पर निर्भर करता है कि कोई राष्ट्र या समाज नारी को कौन सा स्थान देता है।[13]

73वां संविधान संशोधन पास हुए अभी तक दो दशक ही पूर्ण हुआ है, किन्तु वर्षों से चारदिवारी के अन्दर बन्द महिलाओं ने बाहर समाज में आकर एक कुशल प्रशासक के रूप में जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है, वह निःसदेह ग्रामीण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का शंखनाद है।[14]

संदर्भ सूची

1. वर्मा, डॉ. सवलिया बिहारी, 2011 ''ग्रामीण पंचायतीराज संस्थाएँ''यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. मिश्रा, रेखा, ''ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में''।
3. नायक, अशोक द्विवेदी हर्षित,''पंचायतीराज एवं ग्रामीण नेतृत्व महिलाएं एवं राजनीतिक सहभागिता'' जयपुर, पोइंटर पब्लिशर्स।
4. योजना, अगस्त,2001, ''पंचायती राज द्वारा अधिकार सम्पन्नता''।
5. कुरूक्षेत्र, सितम्बर,2011, ''पंचायतीराज के जरिए सशक्त हुई महिलाएं''।
6. कुरूक्षेत्र, मार्च,2005, ''पंचायती राजः महिलाओं की भूमिका''।
7. कोट,सिंह लोकेंद्र, 2010,नवम्बर, ''इन्टरनेट''।
8. दैनिक जागरण, 2011,नवम्बर,।
9. निर्वाचन कार्यालय, गोरखपुर,।
10. कुरूक्षेत्र, सितम्बर,2011, ''पंचायतीराज के जरिए सशक्त हुई महिलाएं''।
11. कुरूक्षेत्र, मार्च,2005, ''पंचायती राजः महिलाओं की भूमिका''।
12. कुरूक्षेत्र, मार्च,2005, ''महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण''।
13. मिश्रा,रेखा, ''ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में''।
14. कुरूक्षेत्र, मार्च,2005, ''पंचायती राजः महिलाओं की भूमिका''।